[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 22 May, 2019

G.S.R. ___ (E).- In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 30th September, 2019.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 9A,-

(i) in sub-rule (7), for the word and figures "Regulations, 1996", the word and figures "Regulations, 2018" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(8) Every unlisted public company governed by this rule shall submit Form PAS-6 to the Registrar with such fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within sixty days from the conclusion of each half year duly certified by a company secretary in practice or chartered accountant in practice.

(8A) The company shall immediately bring to the notice of the depositories any difference observed in its issued capital and the capital held in dematerialised form.".

3. In the principal rules, in the ANNEXURE, after Form PAS-5, the following Form shall be inserted, namely:-

"**Form PAS - 6**

Reconciliation of Share Capital Audit Report (Half-yearly)

[Pursuant to sub-rule (8) of rule 9A Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

(All information shall be furnished for the half year ended 30th September and 31st March in every financial year for each ISIN separately)

1. Corporate identity number (CIN) of company:

2. (a) Name of the Company :

   (b) Address of the registered office:

   (c) E-mail id, if any:

   (d) Phone Number:

3. ISIN:

4. Period of filing: From: To:

5. Details of the capital of the company:

		Number of shares	**Percentage of Total Issued Capital**
(a)	**Issued Capital**		
(b)	**Held in dematerialised form in CDSL**		

(c)	**Held in dematerialised form in NSDL**		
(d)	**Held in physical form**		
(e)	**Total No. of shares [(b) + (c) + (d)]**		

6. Reasons for difference in 5(a) and 5(e):

7. Details of changes in share capital during the half-year under consideration as per Table below:

Particulars	**No. of shares**	**Whether intimated to NSDL**	**Whether intimated to CDSL**
Rights			
Bonus			
Private placement			
ESOPs			
Amalgamation			
Conversion			
Buyback			
Capital Reduction			
Forfeiture			
Any other (pls. specify)			

8. Details of shares held by:-

	Demat	Physical	Total
Promoters			
Directors			
KMP			

9. (a) Whether the Register of Members is updated (Yes / No):

(b) If not, the date upto which it has been updated:

10. Whether there were dematerialised shares in excess in the previous half-yearly period (Yes / No):

11. Has the company resolved the matter mentioned in point no. 10 above in the

current half-year? If not, reason why?:

12. Mention the total no. of demat requests, if any, confirmed after 21 days and the total no. of demat requests pending beyond 21 days with the reasons for delay:

Total No. of demat requests	No. of requests	No. of shares	Reasons for delay
Confirmed after 21 Days			
Pending for more than 21 days			

13. Name, Address, E-mail and Telephone No. of the Company Secretary of the Company, if any :

14. Name, Address, E-mail, Telephone No. and Registration. no. of the CA/CS certifying this form:

15. Whether there is appointment of common agency for share registry work :

If yes (Name & Address):

16. Any other detail that the professional signing this form may like to provide:

Verification

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no............ dated................ to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and the rules/regulations made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. It is hereby further certified that the professional (Name and Type i.e. C.A/CS) certifying this form has been duly engaged for this purpose.

To be digitally signed by

Designation (to be given)
DIN of the person signing the form

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and rules/regulations made thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company (name of the company) which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

a. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Depositories Act, 1996 and were found to be in order;

b. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

c. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

Signature

Chartered Accountant/Company Secretary in practice (whether Associate or Fellow) Membership No. and also CP No.

Note: This eform has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company. Attention is also drawn to provisions of Section 448 which provide for punishment for false statement and certification."

[File No. 1/21/2013-CL-V]

22/5/19

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended:-

(1) Vide notification number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014;

(2) Vide notification number G.S.R. 430 (E) dated the 7th May, 2018;

(3) Vide notification number G.S.R. 752 (E) dated the 7th August, 2018;

(4) Vide notification number G.S.R. 853 (E) dated the 10th September, 2018;

(5) Vide notification number G.S.R. 43 (E) dated the 22nd January, 2019; and

(6) Vide notification number G.S.R. 130 (E) dated the 19th February, 2019.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

सा.का.नि. .... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 26, धारा 27 की उपधारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उपधारा (2), धारा 39 की उपधारा (3) और (4), धारा 40 की उपधारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम तारीख 30 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा गया है) में नियम 9क में,-

(i) उपनियम (7) में, "विनियम, 1996" शब्द और अंकों के स्थान पर "विनियम, 2018" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(8) इस नियम द्वारा शासित प्रत्येक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस प्रत्येक छमाही समाप्त होने के साठ दिनों के भीतर व्यवसायरत कंपनी सचिव या व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट् द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप पीएएस-6 प्रस्तुत करेगी।

(8क) कंपनी अपनी जारी की गई पूंजी और अभौतिक रूप में धारित पूंजी में कोई भिन्न्ता देखे जाने पर तुरंत निक्षेपागार के ध्यान में लाएगी।"।

(3). मूल नियमों के उपाबंध में, प्ररूप पीएएस-5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप पीएएस-6

शेयरपूंजी की लेखापरीक्षित रिपोर्ट का समाधान (छमाही)

[कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 9क के उपनियम (8) के अनुसरण में]

(प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक आईएसआईएन के लिए सभी सूचनाएं 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त छमाही के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी)

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(ग) ई-मेल पता, यदि कोई है:

(घ) दूरभाष:

3. आईएसआईएन:

4. फाइलिंग की अवधि............... से .... तक

5. कंपनी की पूंजी का ब्यौरा:

		शेयरों की संख्या	कुल जारी पूंजी का प्रतिशत
(क)	जारी की गई पूंजी		
(ख)	सीडीएसएल में अभौतिक रूप में धारित		
(ग)	एनएसडीएल में अभौतिक रूप में धारित		
(घ)	भौतिक रूप में धारित		
(ड़)	शेयरों की कुल संख्या [(ख)+(ग)+(घ)]		

6. 5(क) और 5(ड़) में भिन्नता के कारण:

7. निम्नलिखित सारणी के अनुसार विचाराधीन छमाही के दौरान शेयर पूंजी में बदलाव के ब्यौरे:

विवरण	**शेयरों की संख्या**	**क्या एनएसडीएल को सूचित किया गया है**	**क्या सीडीएसएल को सूचित किया गया है**
राइट्स			
बोनस			
निजी नियोजन			
ईएसओपी			
समामेलन			
रूपांतरण			
बॉयबेक			
पूंजी कटौती			
जब्ती			
कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें)			

8. निम्नलिखित द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे:

	डीमेट	भौतिक	कुल
प्रवर्तक			
निदेशक			
केएमपी			

9. (क) क्या सदस्यों के रजिस्टर को अद्यतन किया गया है (हां/नहीं):

(ख) यदि नहीं, तो किस तारीख तक अद्यन किया गया है:

10. क्या पिछली छमाही की अवधि में अभौतिकीकरण शेयरों की अधिकता है (हां/नहीं).

11. क्या कंपनी ने वर्तमान छमाही में उपरोक्त बिन्दु संख्या 10 में उल्लिखित मामले का समाधान कर लिया है? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?:

12. 21 दिनों के पश्चात् पुष्टि किए गए डीमेट अनुरोधों, यदि कोई हो, की कुल संख्या और 21 दिनों के पश्चात् लंबित डीमेट अनुरोधों की संख्या का विलंब के कारणों सहित उल्लेख करें:

डीमेट अनुरोधों की कुल संख्या	अनुरोधों की संख्या	शेयरों की संख्या	विलंब के कारण
21 दिनों के पश्चात् पुष्टि की गई			
21 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित			

13. कंपनी के कंपनी सचिव का नाम, पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या, यदि कोई हो:

14. इस प्ररूप को प्रमाणित करने वाले सीए/सीएस का नाम, पता, ई-मेल, दूरभाष संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या:

15. क्या शेयर रजिस्ट्री कार्य के लिए सामान्य एजेंसी की नियुक्ति की गई है:

यदि हां, (नाम और पता)

16. इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले वृत्तिक द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला कोई अन्य विवरण:

सत्यापन

मैं तारीख .... के संकल्प संख्या .... के माध्यम से कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं और यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) और उसके अधीन बने नियमों/विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के अनुलग्नकों सहित उपरोक्त दी गई सभी सूचना सत्य, सही और संपूर्ण हैं और इससे संबंधित किसी भी विषय को छुपाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्ररूप को प्रमाणित करने वाले वृत्तिक (अर्थात् सीए/सीएस का नाम और प्रकार) को इस उद्देश्य के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर किए जाने हैं

पदनाम (दिया जाना है)

इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का डीआईएन

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के उपबंधों तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए इसके अधीन नियमों/विनियमों तथा इनसे अनुषंगी मामलों का अध्ययन कर लिया है और मैंने इस कंपनी (कंपनी का नाम) जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु है, द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से उक्त विवरण (अनुलग्नकों सहित) सत्यापित कर लिए हैं और ये सत्य, सही और पूर्ण पाए गए हैं तथा इस प्ररूप के संबंध में किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :

क. उक्त अभिलेख समुचित रूप से तैयार, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं और नियमानुसार पाए गए थे;

ख. सभी अपेक्षित अनुलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्णतः और सुपाठ्य रूप से संलग्न कर दिए गए हैं ;

ग. यह समझा गया कि मैं गलत प्रमाणन के लिए, यदि किसी चरण में कोई पाया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूंगा।

हस्ताक्षर

व्यवसायरत चार्टर्ड लेखाकार/कंपनी सचिव (चाहे एसोसिएट अथवा फेलो) सदस्यता संख्या और सीपी संख्या भी।

टिप्पण: यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से तथा फाइल करने वाली कंपनी द्वारा दी गई सत्यता के कथन के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखरखाव की गई फाइल पर ले लिया गया है। धारा 448 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें असत्य विवरण और प्रमाणन के लिए दंड की व्यवस्था है।"

[फाइल सं. 1/21/2013-सीएल-V]

के.वी.आर.मूर्ति
22/5/19

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम, तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 251(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे : -

(1) तारीख 30 जून, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 424(अ) द्वारा;
(2) तारीख 07 मई, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 430(अ) द्वारा;
(3) तारीख 7 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 752(अ) द्वारा;
(4) तारीख 10 सितंबर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 853(अ) द्वारा;
(5) तारीख 22 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 43(अ) द्वारा; और
(6) तारीख 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 130(अ) द्वारा।

*****